1210/2026

एचडीएफसी बैंक विरुद्ध राजपाल बघेल

17.07.2026

परिवादी द्वारा **श्री रामाधार सिंह कुशवाह** अधिवक्ता उपस्थित।

अभियुक्त अनुपस्थित।

प्रकरण अभियुक्त की उपस्थिति हेतु नियत है।

अभियुक्त को जारी गिरफतारी वारंट तामील/अदम तामील वापस प्राप्त नहीं।

परिवादी अधिवक्ता ने स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाने का निवेदन किया।

प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी के द्वारा यह प्रकरण दिनांक **13.04.2026** को प्रस्तुत किया गया है। दिनांक **13.04.2026** को प्रकरण पंजीबद्ध कर अभियुक्त की उपस्थिति हेतु नियत किया गया है। उक्त दिनांक से प्रकरण निरंतर अभियुक्त की उपस्थिति हेतु नियत है। पूर्व में अभियुक्त की उपस्थिति हेतु समंस, जमानतीय वारण्ट एवं गिरफ्तारी वारंट भेजे गये हैं। अभियुक्त को दिनांक **08.07.2026** के आदेश के पालन में गिरफ्तारी वारण्ट जारी किया गया है। प्रकरण में अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं हो पाई है। ऐसी परिस्थितियों में यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त जानबूझकर तामीली से बच रहा है एवं कहीं फरार हो गया है तथा उसके निकट भविष्य में मिलने की कोई संभावना नहीं है। अतः अभियुक्त **राजपाल बघेल पुत्र श्री हरीचंद्र बघेल, निवासी— ग्राम धावारी, पोस्ट इमलिया, दतिया, म.प्र. मोबाईल नंबर 9685868207** की उपस्थिति हेतु धारा 70 द.प्र.सं. के प्रावधान के अनुरूप स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट जारी करना उचित प्रतीत होता है।

अभियुक्त को लाल स्याही से स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट जारी किया जावे। अभियुक्त का स्थायी गिरफ्तारी वारण्ट तामीली हेतु संबंधित पुलिस अधीक्षक के माध्यम से भेजा जावे तथा वारंट पर यह टीप अंकित की जावे कि सम्बंधित थाना प्रभारी वारंट के निष्पादन ना होने तक/अभियुक्त की उपस्थिति या गिरफतारी सुनिश्चित ना होने तक वारंट प्राप्ति दिनांक से प्रत्येक दो माह में वारंट निष्पादन/अभियुक्त की तलाशी की कार्यवाही कर उसका प्रतिवेदन न्यायालय में नियमित रूप से भेजा जाना सुनिश्चित करवायें। स्थाई वारंट प्राप्त करने की टीप आदेश पत्रिका के दाहिने हाशिए पर ली जाए।

प्रकरण के मृख्य पृष्ठ पर प्रकरण सुरक्षित रखने हेतु लाल स्याही से टीप लगाई जावे।

प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज कर विधिवत नस्तीबद्ध किया जाकर प्रकरण नियत समयावधि में अभिलेखागार में भेजा जावे।

MANVENDRA SINGH YADAV

Digitally signed by MANVENDRA SINGH YADAV
Date: 2026.07.17 12:44:17 +0530

(मानवेंद्र सिंह यादव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
जिला ग्वालियर